संख्या-1/2026/99/001-21-4002-002-1-2026

प्रेषक,

कामता प्रसाद सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान,
लखनऊ।

भाषा अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक: 30 अप्रैल, 2026

विषय:- उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए 31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में प्रावधानित धनराशि रू0 486.08 लाख की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-02/हि0सं0/लेखा/2026, दिनांक 08 अप्रैल, 2026 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन आदि के भुगतान हेतु अनुदान संख्या-39 के अंतर्गत वेतन मद (31) में कुल प्रावधानित धनराशि रू0 486.08 लाख (रूपये चार करोड छियासी लाख आठ हजार मात्र) को राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) उपर्युक्त स्वीकृत अनुदान को कोषागार से सीधे सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में बेनीफिशियरी बनाकर ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से भुगतान किये जाने से पूर्व उस बिल को सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(2) शासन द्वारा अनुमन्य वेतन के अन्तर्गत मूल वेतन, मंहगाई भत्ता तथा आवास भत्ता के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का भत्ता किसी भी कार्मिक को प्रदान नहीं किया जायेगा।

(3) आहरित धनराशि को किसी भी दशा में बैंक अथवा डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समस्त अवशेष धनराशि संस्थान द्वारा समर्पित कर दी जायेगी।

(4) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं व्यय विवरण भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि वचनबद्ध मदों पर वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धित दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत व्यय की जायेगी तथा उक्त अनुदान पर वही नियम लागू होंगे जो वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16ए में उल्लिखित नियमावली में दिये गये हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,86,08,000 (रुपये चार करोड़ छियासी लाख आठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 039 लेखा शीर्षक 2202031040500 उ.प्र. हिन्दी संस्थान को अनुदान मानक मद 31 सहायता अनुदान- सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कामता प्रसाद सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-1(1)/2026/99/001-21-4002-002-1-2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 हिन्दी संस्थान, लखनऊ।
5- कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1
7- नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेन्ट सिस्टम, भाषा विभाग।
8- भाषा (उर्दू) अनुभाग-4
9- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(रत्नदीप दीक्षित)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।